REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2018

हिंदी की विकास यात्रा और प्रचार प्रसार

प्रा. डॉ. एम. ए. येल्लूरे
सहयोगी प्राध्यापक एवं शोध–निर्देशक,
हिंदी विभाग प्रमुख, बी.एस.एस. कला विज्ञान एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, माकणी, तह. लोहारा, जिला. उस्मानाबाद.

प्रस्तावना :–

देश को आजाद हुए अनेक साल हूए लेकिन हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं की विकास यात्रा आज भी अधुरी है । इस अधुरी यात्रा कें कारणों को देश के चिंतक और विचारक अपने–अपने तरह से परिभाषित करते हैं । भारतीय भाषओं की विकास यात्रा को स्वतंत्रता की तिथि से नापा जाता है । स्वतंत्रता दिवस से नापने के कारण बहूत साफ है । गुलामी के समय में भारतीय भाषाओं के विकास की बात सोचना बेमानी की बात थी । स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के विकास की बात सोचना तर्क संगत प्रतीत होता है । स्वतंत्रता की लडाई केवल राजनैतिक स्वातंत्र तक सीमित नहीं थी । अगर यह लडाई केवल राजनैतिक स्वातंत्र की लडाई होती तो इसमें लडनेवाले कुछ लोग ही होते जो अंग्रेजों को हटाकर स्वयं बडे–बडे पर्दोपर बैठने के लिए उत्कंठित रहे होते लेकिन ऐसा नही था । स्वतंत्रता आन्दोलन की अस्मिता के लिए लडा गया आदोलंन था । देश की अस्मिता में भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है । जो लोग भाषा को केवल शब्द मात्र समझते हैं या केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भर समझते है उनकी सोच संकीर्णता से ग्रसित है । कोई भी भाषा उस भाषिक समाज की पीढियों के चिन्तन और अनुभव से प्रस्तूत होती है । इन अर्थो में किसी भी भाषा का एक–एक शब्द उस भाषा–भाषी समाजक के लिए संरक्षित दस्ताऐवज की भॉति होता है । यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाषिक स्वतंत्रता की लडाई भी शामिल थी । सोचा तो यही गया था कि आजादी मिलते ही देश की खोई हुई भाषिक गरिमा वापस मिल जायेगी । इस गरिमा को वापस दिलाने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी व्यवस्थाऍ स्थापित की गई और इन पर आमल करने के लिए राजभाषा अधिनियम, राभाषा विभाग और इसि तरह अनेक व्यवस्थाऍ बनाई गई लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के रहते हूए भी हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य दोनों ही भारत के जन–मानस को आश्वस्त नहीं करते । यहॉ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि आजादी के बाद देश में हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओंका विकास तो हुआ है लेकिन इन्हें वह गरिमा नहीं मिल सकी जिसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में लोगोंने अपने प्राणो की आहूति दी थी।

हिंदी के विकास में जान–बूझकर अनगिनत रोढे अटकाए गये ।आजादी के पहले दर्शकों में तो केवल यही प्रचारित किया गया कि हिंदी के पास यह शक्ति नहीं जो अंग्रेजी के पास है अत– हिंदी किसी भी तरह से अंग्रेजी का विकल्प नहीं हो सकती । इसके बाद हिंदी को भारतीय भाषाओंकी प्रतिदृध्नी बनाकर षडयंतत्रपूर्वक प्रचारित किया गया । लेकिन जब ये तथ्य देश कि भाषा वैज्ञानिकों और साहित्यकारों ने पूरी तरह खारिज कर दिए तो लडाई वैश्वीकरण के परिदृश्य तक आ पहूॅची । अब यह नारा दिया जा रहा है कि वैश्विकरण के समय में हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं की आवश्यकता नहीं है अब केवल अंग्रेजी ही काम आनेवाली भाषा रहेगी । यह च्यूनौती बडी बिकट है । इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । क्योंकि भारतीय समाज पर इसके बहूत गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव है । इन्हीं प्रभावों के रहते ही देशके कई प्रदेशों में अंग्रेजी को शिक्षा के प्राथमिक स्तर से पढाए जाने का प्राविधान किया गया है तथा कुछ अन्य प्रदेश इस व्यवस्थसा को लागू करने के पक्षधर है । यह मानोविकल्प और ये प्राविधान इस बात के स्थल प्रमाण है। कि हिंदी या हिंदी माध्यम या

भारतीय भाषाएँ। और उनके माध्यम से प्राप्त शिक्षाकी गरिमा और उपादेयता में गिरावट आयी है । यह स्थिति अनपेक्षित और अनादरणीय है।

हॉ असल में आजादी के बाद हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं और इनके विद्वानों की स्थिति बिलकूल ऐसी हो जाने दी गई है जैसे किसी मनुष्य को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी–कपडा और मकान तो उपलब्द करवा दिए जाएँ लेकिन उसके जीवन की गरिमा छीन ली जाए और उसका स्वाभिमान आहत कर दिया जाएँ । ठीक यही सब घटा है हमारी भारतीय भाषाओं के साथ । आजादी के बाद प्रचार–प्रसार बढने के बावजूद भी इन्हें उनकी स्वाभाविक गरिमा नहीं मिल पायी । भाषा की स्वाभाविक गरिमा का अर्थ है कि उनका भाषिक समाज उनके माध्यम से शिक्षित बनकर उच्चतम पदोंतक पहूँच कर जीवन की मान, मर्यादा, शान–शौकत और शासन सत्ता आदि सभी कुछ प्राप्त कर सकें । देश के नवजवानों को आज की हमारी भाषाएँ ये सब चीजे उपलब्ध नहीं करवा पार रही है। जिसके कारण इनका झुकाव न चाहते हूए भी अंग्रेजी की ओर बढता जा रहा है।

इस व्यवस्था को बदलने के लिए हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को रोजगार से जोडने की आवश्यकता है। इन भाषाओं में सबगुण उपलब्ध है जिनके सहारे ये देशवासियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। जरूरत केवल इसबात की है कि इन्हें वे सभी अवसर उपलब्ध करवा दिए जाएँ जों अंग्रेजी को उपलब्ध करवाए गए हैं शिक्षा में छनायी सिध्दांत बहुत अधिक प्रभावी माना जाता है । छनाई का अर्थ है कि शिक्षा का उपर से नीचे आना अर्थात अनुकरण करना ।जब किसी देशका समाज यह देखता और महसूस करता है कि देश के शीर्षस्थ, सफल एवं सत्ता सम्पन्न लोग की भाषा का प्रयोग करते है तो देशका शासित समाज उनका अनुकरण करने लगते हैं यह सर्वविदित है कि हमारे देशके सत्तासित लोगों की भाषा न तो हिंदी होती है । और न ही उनकी अन्य भाषाएँ । गजब तो यहॉ तक है कि जिस भाषा में जनता से वोट मांगा जाता है उस भाषा का प्रयोग संसद में नेताओं के द्वारा नहीं किया जाता तमिल, तेलगू, मल्यालम, असमी और यहॉ तक की हिंदी में अपनी जनता से वोट मांगकर देशकी –संस्थाओं में पहूँचा हमारा नेतृत्व प्रायः अपनी–अपनी मातृभाषा ओं की जगह अंग्रेजी के व्यामोह में जकड जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर पडता है और अनजाने ही वह इस आस्थाका अनुकरण करने लगती है। इस प्रक्रियासे अंग्रेजी को बल मिलता है, जबकी देश की हालतोंका धरातल अपेक्षाकृत कमजोर होता जाता है।

भाषा के विकास को आंकडो से नापना या अनुवाद के सहारे विकास की सीढिंया चढाना व्यर्थ की कसरते हैं । किसी भी भाषा का विकास उसकी स्वाभाविक और मौलिक प्रवाह में निहित है । यह मौलिकता तभी संभव है जब उनकी प्रयोगशीलता को प्रभावी रूप से लागू किया जाएं। 14 सितंबर, हिंदी दिवस ही नहीं हैं बल्कि भारतीय भाषाओं की दिशा और दशा पर चिन्तन का दिवस है।

हिंदी भाषा का इतिहास देखे तो पता चलता है कि गुजरात में स्वामी वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठल नाथजी ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था । वहॉ की जनता में मोह पैदा किया इन कवियों में केशव बैजु बावरा, नरसिंह मेहता, हरखराम दयाराम आदि प्रमुख है जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की अभिवृध्दि की। इसके अतिरिक्त गुजरात के कुछ सुफि कवियों ने भी हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इनमें से शेख अहमद खॉ आलम बुखारी मुहम्मद चिश्ती और शहा हुसेन के नाम उल्लेखनीय है। प्राचीन काल में गुजरात में जैन धर्म पत्र का प्रभाव काफी रहा है । आनन्देवन, ज्ञानानंद, किशसदास आदि जैन कवियोंने खडीबोली और ब्रजभाषा में रचनाएँ की।

स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में फैली बुरायों को दूर करने के लिए अनेक सुधारवादी नेताओं से सम्पर्क किया था। ब्रम्ह समाज के नेता आचार्य केशवचंद्र सेन का स्वामीजी पर गहरा प्रभाव पडा और आचार्य सेन से मुलाकात तथा अनेक विषयों पर गंभीर चर्चा के बाद तो स्वामी जी ने यह ठान लिया कि वे देशभर में अपना समाज सुधार का आंदोलन हिंदी ही चलायें है और हिंदी का प्रचार प्रसार साथ में करेंगे क्यों कि यह वह भाषा थी जो कि उससमय भी देश में सब से अधिक समझी और बोली जाती है । इसको सीखना आसान था और ये सभी देशवासियों को एक दूसरे के समीप लाने में पूरीतरह सक्षम थी । इसी के द्वारा देश में एकता स्थापित हो सकती है ऐसा लगता है।

निष्कर्ष :–

अतंतहः हम कहते हैं कि, आज भी यह अहसास होता है कि भाषाई दृष्टि से हमें स्वतंत्रता की जरूरत है । पर सच बात यह है कि देशमें एक भाषाई हिंदी भाषा की आंदोलन की आवश्यकता है जिसमें वे सभी झूठे और षडयंत्रकारी प्रतिमान नष्ठ किए जा सकें जो हिंदी समेत देश की सभी भाषाओं के विकास में बाधक है । इतना ही नहीं तो 14 सितंबर की उपादेयता सच्चे अर्थों में तभी सिध्द हो सकेगी और गांधीजीकी भाषाई मान्यताएँ तभी साकार होगी एवं विनोबा तथा काका कालेकर समेत अनेक भारतवासियों का स्वप्न भी साकार होगा और हमारी अपनी भाषाएँ अपनी मौलिक गरिमा के साथ देश के नागरिकों के जीवन की गरिमासे आबध्द हो सकेगी । जबतक देश के न्यायालयों में न्याय की अपेक्षा में खडा आम भारतीय अपने ही विषय में हो रही कार्यवाही विदेशी भाषा में होने से स्वयं न समझ सके तब तक अपनी भाषाके दिवस माने जाने का स्वप्न पूरा न होगा पर अपनी भाषा के लिए हम सभी को एक होना पडेगा यह भी एक वास्तव है ।

संदर्भ ग्रंथ

1) रामविलास शर्मा–भाषा और समाज राजकमल प्रकाशन, पॉचवा संस्करण 2002 ।
2) भोलानाथ तिवारी–भाषा विज्ञान किताब महल, इलाहबाद सं. 1988 ।
3) डॉ.नगेद्र(सं). भारतीय साहित्यकोश,नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1981 ।
4) कौशिक, जगदीश प्रसाद–भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास, अपोलो प्रकाशन, जयपुर ।
5) डॉ.अंबादास देशमुख–भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा आरती प्रकाशन, औरंगाबाद ।
6) डॉ.रणसुभे सुर्यनारायण –प्रादेशिक भाषा और साहित्य लेखन ।